भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1296
09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आरोग्य सेतु डेटा हेतु प्रोटोकॉल

1296. श्री रितेश पाण्डेय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आरोग्य सेतु द्वारा संगृहीत किए गए डेटा को नियंत्रित करने वाले वर्तमान में क्रियान्वित विधान/प्रोटोकॉल का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या आरोग्य सेतु द्वारा पूर्व में संगृहीत किए गए डेटा को नियंत्रित करने के लिए एक नया प्रोटोकॉल बनाने की कोई सक्रिय/प्रस्तावित योजना है;
(ग) आरोग्य सेतु द्वारा संगृहीत किए गए डेटा तक सरकारी/निजी एजेंसियों, संगठनों, संस्थानों और व्यक्तियों की पहुंच का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या आरोग्य सेतु द्वारा संगृहीत किए गए डेटा को आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020 के अनुसार 10 जुलाई, 2023 तक हटा दिया गया है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (घ): राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10 (2) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन पर अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया। अधिकार प्राप्त समूह ने आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा डेटा के सुरक्षित संग्रह, लोगों के वैयक्तिक डेटा की सुरक्षा और कोविड-19 महामारी के शमन और निवारण के लिए वैयक्तिक और गैर-वैयक्तिक डेटा के कुशल उपयोग और साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए "आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल, 2020" को अधिसूचित किया।

एमईआईटीवाई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, केवल केंद्र और राज्य स्वास्थ्य विभागों के अधिकृत अधिकारियों को सुरक्षित कनेक्शन के माध्यम से आरोग्य सेतु द्वारा एकत्र किए गए डेटा तक पहुंच प्रदान की गई थी। इसके अलावा, उक्त प्रोटोकॉल के प्रावधान के अनुसार, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप की संपर्क ट्रेसिंग सुविधा को बंद कर दिया गया है और आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के माध्यम से एकत्र किए गए संपर्क ट्रेसिंग डेटा को 1 अप्रैल, 2021 से हटा दिया गया है।

आरोग्य सेतु को स्वास्थ्य और आरोग्य ऐप में बदल दिया गया है और इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के साथ एकीकृत किया गया है। स्वास्थ्य डेटा का समग्र स्वामित्व नागरिक के पास रहता है और एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में आरोग्य सेतु एप्लिकेशन द्वारा गोपनीयता और सहमति-आधारित जानकारी साझा करने का पालन किया जाता है। गोपनीयता नीति को https://aarogyasetu.gov.in/privacy-policy/ पर देखा जा सकता है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत कई दिशा-निर्देश और अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, जो डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए न्यूनतम मानकों को निर्धारित करती हैं। इनमें हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी, डेटा प्राइवेसी पॉलिसी और एबीडीएम हेल्थ रिकॉर्ड्स (पीएचआर), मोबाइल ऐप प्राइवेसी पॉलिसी शामिल हैं।

*****